

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाय
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्ण सदन यदि स
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
फ़ैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन

इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2025-2026/395

दिनांक: 8 JUL 2025

// अधिसूचना //

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 402/264/83/ आउशि
/शाखा-5 'अ'/2014 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अंकुश
लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है

- | | |
|--|--------|
| 1/ डॉ. राजीव दीक्षित,
निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद्, देआविवि, इन्दौर। | सदस्य |
| 2/ डॉ. दीपक श्रीवारस्तव,
आई.एम.एस., देआविवि, इन्दौर। | सदस्य |
| 3/ डॉ. संजय व्यास,
होलकर साईंस कॉलेज, इन्दौर | सदस्य |
| 4/ सुश्री रवना ठाकुर,
उ.कु.स., प्रशासन/स्थापना, देआविवि, इन्दौर | सदस्य |
| 5/ डॉ. लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी,
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, देआविवि, इन्दौर | संयोजक |

नोट :- उक्त अधिसूचना को सूचना पटल पर वरसा कर समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करे।

आदेशानुसार

कुलसचिव,

पृष्ठा.क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2025-2026/395

दिनांक 8 JUL 2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपूड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर सभाग, मोती तबला, इन्दौर।
3. उक्त समस्त संबंधित सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनाार्थ।
4. कुलगुरुजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, देआविवि, इन्दौर की ओर सूचनाार्थ।
5. प्राचार्य/निदेशक/संचालक वि.वि. से संबद्ध समस्त महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष, समस्त
अध्ययनशालाएँ, देआविवि, इन्दौर।
6. आई. टी. सेन्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण